न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 67 सन 2019
अनवान :–

1. हाकम पुत्र नेक मोहम्मद जाति दमामी साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।

बनाम

1. नेक मोहम्मद उर्फ नेकों पुत्र हुसैनखां जाति दमामी साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. ज्याना 3 खातुन 4 जानब 5 सायर बानों 6 आमना बानों 7 जीनत पुत्रीया नेक मोहम्मद जाति दमामी साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनाक :– 15.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 548/463 के खसरा न0 997 /12.0010हैक, जिसमें सयुक्त तौर से नेक मोहम्मद पुत्र हुसैनखां 6.005हैक तथा रोही मोजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 549/457 की कुल 9.0040हैक भूमि में सयुक्त तौर से 24 हिस्से के खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हुसैन खां के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 पर औद हुई है विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जो वादी की पिता/बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है

....2.....पर

Web Copy - Not Official

इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जो वादी की पिता/बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 459/457 की कुल तादादी 9.0040हैक भूमि में से सयुक्त तौर से 24 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है एवं रोही मोजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 458/468 की कुल 12.0010हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादी अकेला खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सालग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना बहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy Not Official